

**अनुदान संख्या 86 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
**GRANT No. 86- DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	1222,00,00		
		1222,01,00	1144,86,83	-77,14,17
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			75,91,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1000.00		
		1245.00	1231.49	-13.51
पु.	R.	245.00		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	12000.00		
		0.64	..	-0.64
पु.	R.	-11999.36		
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	109200.00		
पू.	S.	1.00	113364.36	113255.34
पु.	R.	4163.36		-109.02

(I) ₹12000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552”- “अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नौ मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) “स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)” - ₹1500.00 लाख;

(खा) “मानव संसाधन विकास” - ₹600.00 लाख;

(गा) “जैव सूचना विज्ञान” - ₹600.00 लाख;

(घा) “अनुसंधान और विकास” - ₹6250.00 लाख;

(ङ) “समाज विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी” - ₹200.00 लाख;

(चा) “विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम” - ₹1400.00 लाख;

(छा) “उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम” - ₹950.00 लाख;

(जा) “जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान” - ₹300.00 लाख; और

(झा) “आई एंड एम सेक्टर” - ₹200.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “समाज विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी” - ₹431.77 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Provision of ₹12000.00 lakhs remained wholly unutilised in nine cases under Major Head “2552”- “Other Scientific Research – Assistance to Other Scientific Bodies”- under the following heads:-

(A) “Autonomous R and D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)”- ₹1500.00 lakhs;

(B) “Human Resource Development”- ₹600.00 lakhs;

(C) “Bioinformatics”- ₹600.00 lakhs;

(D) “Research and Development”- ₹6250.00 lakhs;

(E) “Biotechnology for Societal Development”- ₹200.00 lakhs;

(F) “Grand Challenge Programmes”- ₹1400.00 lakhs;

(G) “Programme for Promotion of Excellence and Innovation”- ₹950.00 lakhs;

(H) “Grant-in-aid for Biotech Facilities”- ₹300.00 lakhs; and

(I) “I and M Sector”- ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3425” - “Others – Assistance to Other Scientific Bodies” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Biotechnology for Societal Development”- saving of ₹431.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs); and

(खा) “आई एंड एम सेक्टर - सार्वजनिक निजी भागीदारी” - ₹3053.99 लाख की बचत (₹11800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं तथा अनुमोदनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹994.21 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)” - ₹217.06 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹217.05 लाख था।

(खा) “जैव सूचना विज्ञान” - ₹777.15 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹ 769.65 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” “सचिवालय - जैव प्रौद्योगिकी विभाग” - ₹231.79 लाख का अधिक व्यय (₹985.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैज्ञानिक ‘ग’ तथा ‘घ’ के नए पदों का सृजन और सहायकों/वैयक्तिक सहायकों के वेतनमानों का संशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -

(क) “अनुसंधान और विकास” - ₹4296.72 लाख का अधिक व्यय (₹39440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम” - ₹1074.15 लाख का अधिक व्यय (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) “I and M Sector – Public Private Partnership” – saving of ₹3053.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of projects and approvals.

2.(I) The above savings were partly (₹994.21 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2011 under Major Head “3425”- “Others – Assistance to Other Scientific Bodies” – under the following heads:-

(A) “Autonomous R and D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)”- ₹217.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹217.05 lakhs.

(B) Bioinformatics” – ₹777.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹769.65 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “3451” “Secretariat – Department of Biotechnology” – excess of ₹231.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹985.00 lakhs) was due to creation of new posts of Scientists ‘C’ and ‘D’ and revision of pay scales of Assistants/ Personal Assistants.

(B) Major Head “3425” – “Others – Assistance to Other Scientific Bodies” –

(a) “Research and Development” – excess of ₹4296.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39440.00 lakhs);

(b) “Grand Challenge Programmes” - excess of ₹ 1074.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs);

- |   |   |
|---|---|
| <p>(ग) “उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम” - ₹850.00 लाख का अधिक व्यय (₹4250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और</p> <p>(घ) “जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं” - ₹299.98 लाख का अधिक व्यय (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।</p> | <p>(c) “Programme for Promotion of Excellence and Innovation” - excess of ₹850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4250.00 lakhs); and</p> <p>(d) “Biotech Facilities” – excess of ₹299.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs).</p> |
|---|---|

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

---